



हत्या की घटना में वांछित एवं 25 हजार का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि कमलेश कुमारी पत्नी सत्यनारायण राजपूत निवासी ग्राम बिलगांव थाना जलालपुर हमीरपुर द्वारा थाना जलालपुर पर सूचना दी गई कि दिनांक 17.11.2021 को उसके पति सत्यनारायण राजपूत के मामा मुन्ना राजपूत निवासी बिलगांव के घर पर कुंआ पूजन का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में उसके पति सत्यनारायण, जेठ चंद्रशेखर पुत्र दशरण व शिवकान्त व राजेन्द्र पुत्र गण चंद्रशेखर भी गये थे। रात्रि मे नाच गाने का प्रोग्राम था सभी लोग नाच देख रहे थे। दिनांक 18.11.2021 को समय रात्रि करीब 02 बजे सत्यनारायण नाच देखकर अपने घर के लिये वहाँ से निकले थे तो चंद्रशेखर व उनके लड़के शिवकान्त व राजेन्द्र अपने-2 हाथों में कुल्हाड़ी लिये हुये उनके पीछे चल दिये थे। प्राथिया को शंका हुई कि ऐसा तो वह अपनी ननद को साथ लेकर उनके पीछे पीछे गई, व पति के ना मिलने पर अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ ढूंढने लगी शाम को करीब 7 बजे गांव के किनारे पथनौड़ी (खलिहान) के मैदान मे झांडियों के बीच उसके पति का शव मिला, चेहरे पर कुल्हाड़ी के चोट के निशान थे। प्राथिया के पति सत्यनारायण को चंद्रशेखर पुत्र दशरथ व शिवकान्त पुत्र चंद्रशेखर, राजेन्द्र पुत्र चंद्रशेखर ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। उपरोक्त सूचना पर थाना जलालपुर में मु0अ0स0-222/21, धारा-302/120बी आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना में अभियुक्ता बबली पत्नी चंद्रशेखर निवासी गण ग्राम बिलगाँव थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर का नाम धारा-120बी आईपीसी में प्रकाश में आया था। थाना जलालपुर पुलिस द्वारा 1)चन्द्रशेखर पुत्र दशरथ को दिनांक 25.11.2021, 2)शिवकान्त पुत्र चन्द्रशेखर को दिनांक 25.11.2021 व

3)श्रीमती बबली पत्नी चंद्रशेखर निवासी गण ग्राम बिलगाँव थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दिनांक 16.02.2022 में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्त राजेन्द्र राजपूत पुत्र चन्द्रशेखर (उम्र 24 वर्ष) निवासी ग्राम बिलगाँव थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर उपरोक्त घटना में वांछित चल रहा जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा 25,000/- की पुरस्कार घोषित किया गया था। थाना जलालपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र राजपूत को पुरैनी राठ तिराहा से एक अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के संबन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0-111/22, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1)थानाध्यक्ष जलालपुर संजय कुमार सिंह
- 2)एसओजी प्रभारी विनोद कुमार राय
- 3)उ0नि0 शब्बीर अहमद
- 4)का0 रविन्द्र प्रताप सिंह

- 5)का0 सुजीत कुमार
- 6)का0 कमलकान्त
- 7)का0 अमित कुमार
- 8)का0 उमाशंकर शुक्ल
- 9)का0 अमर बहादुर

